प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट अपील क्र. 80/2012</u>

<u>अपीलार्थी</u> : जी.एस. देवांगन

[याचिकाकर्ता]

विरुद्ध

<u>उत्तरवादी</u> : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

विचार हेतु निर्णय

सही /-

श्री सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेश्याम शर्मा</u>

सही /-

श्री राधेश्याम शर्मा

न्यायाधीश

15 फरवरी 2012 को निर्णय की उद्घोषणा जाने हेतु सूचीबद्ध करे

सही /-

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट अपील क्र. 80/2012

अपीलार्थी : **जी.एस. देवांगन**

[याचिकाकर्ता]

विरुद्ध

उत्तरवादी : **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खंड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006

की धारा 2(1) के तहत अपील

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कोरम ; **माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री**

माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेश्याम शर्मा, न्यायमूर्तिगण

उपस्थित: श्री टी.के. तिवारी, अपीलार्थी के अधिवक्ता ।

श्री एम.पी.एस.भाटिया, उत्तरवादी/राज्य की ओर से उप-शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 15 फरवरी 2012 को प्रदत्त)

माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री के अनुसार;

1. यह अंतरन्यायालयीन अपील विद्वान एकल पीठ द्वारा रिट याचिका (सेवा) क्रमांक. 102/2012 (जी.एस. देवांगन विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 30.12.2012 से उत्पन्न हुई है, जिसके अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका खारिज कर दी गई थी।

2. अपीलार्थी द्वारा संक्षेप में प्रस्तुत तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यपालन अभियंता के रूप में कार्यरत था, को भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो, रायपुर द्वारा 10,000/- रुपये के अवैध परितोषण स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। तत्पश्चात, उसे गिरफ्तार कर निरोध में लिया गया। तदनुसार, याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 (संक्षेप में 'नियम, 1966') के नियम 9(2) के प्रावधानों के तहत आदेश दिनांक 09.09.2010 द्वारा निलंबित कर दिया गया था। उक्त निलंबन को दिनांक 25.10.2011 को इस आधार पर प्रतिसंहरण कर दिया गया था कि मामले के विचारण के निष्कर्ष में कुछ समय लग सकता है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो, रायपुर ने दिनांक 08.11.2011 के पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर को इस आधार पर अपीलार्थी को निलंबित करने की सिफारिश की कि विशेष मामला क्र. 09/2011 में विशेष एवं प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया जा चुका है। उक्त सिफारिश के आधार पर, अपीलार्थी को 02.12.2011 को दूसरी बार पुनः निलंबित कर दिया गया। दिनांक 02.12.2011 के आदेश को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिका संख्या डब्लू.पी.(एस) 102/2012 में चुनौती दी गई थी। राज्य/उत्तरवादी ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर मामले का प्रतिवाद किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. श्री तिवारी, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश तथ्यों के विपरीत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 166(2) के अनुसार, आदेश राज्यपाल के नाम पर पारित किया गया था और इस प्रकार, यह स्वयं राज्यपाल द्वारा निष्पादित आदेश था, अतः नियम, 1966, के नियम-22 के तहत निर्धारित वर्जन को देखते हुए, नियम, 1966 के नियम-23 के अंतर्गत राज्यपाल को कोई अपील नहीं होगी। श्री तिवारी ने आगे यह तर्क दिया कि रिट याचिका को उत्तरवादी अधिकारियों को नोटिस जारी किए बिना केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अपीलार्थी के पास वैकल्पिक उपचार उपलब्ध था। अपने तर्क के समर्थन में, श्री तिवारी, मध्य प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर के *'अजीज कुरैशी विरुद्ध*

मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य[1] के निर्णय का अवलंब लिया। अपीलार्थी ने वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार के अलावा किसी अन्य आधार पर दिनांक 02.12.2011 के आक्षेपित निलंबन आदेश की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया है।

4. दूसरी ओर, राज्य/उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री भाटिया ने यह तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत और उचित है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः, इस अपील को खारिज किया जा सकता है।

5. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया, अभिवचनों तथा उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

6. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क था कि चूंकि आदेश राज्यपाल के नाम पर पारित किया गया था, अतः नियम, 1966 के नियम 22 के प्रावधानों के तहत उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील पोषणीय नहीं थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने *'कॉमन कॉज, ए रजिस्टर्ड सोसाइटी विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य*[2] के मामले में एक निर्णय का अवलंब करते हुए, यह धारित करते हुए याचिका खारिज कर दी कि निलंबन का आक्षेपित आदेश नियम, 1966 के नियम 23 के प्रावधानों के तहत अपील योग्य था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. नियम, 1966 का नियम-9 निम्न प्रकार से है:

"निलंबन

9. (1) नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसा कोई प्राधिकारी जिसके कि अधीनस्थ वह हो या अनुशासिक प्राधिकारी या उस सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया कोई अन्य प्राधिकारी किसी शासकीय सेवक को. -

(क) जहां उसके विरूद्ध अनुशासिक कार्यवाही की जाना अपेक्षित हो या अनुशासिक कार्यवाही लम्बित हो, या

(ख) जहां उसके विरूद्ध किसी भी दाण्डिक अपराध के सम्बन्ध में कोई मामला अन्वेषण, जांच या परीक्षण के अधीन हो,

---

[1] 1989 MPSLR 453
[2] (1999) 6 SCC 667

निलम्बित कर सकेगा :

/ परन्तु शासकीय सेवक को सदैव निलम्बित किया जाएगा जबकि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अन्तर्वलित दाण्डिक अपराध में सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति के पश्चात् उसके विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो,

/ परन्तु यह और भी कि जहां निलम्बन का आदेश किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो जो नियुक्ति प्राधिकारी से निम्नस्तर श्रेणी का हो तो ऐसा प्राधिकारी तत्क्षण उन परिस्थितियों की जिनमें कि आदेश दिया गया था, रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को करेगा.

(2) कोई शासकीय सेवक नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा -

(क) उसके निरूद्ध किये जाने के दिनांक से यदि उसे, या तो किसी दाण्डिक आरोप पर या अन्यथा, अडतालीस घण्टे से अधिक की कालावधि के लिये अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया हो;

(ख) उसे दोषसिद्ध ठहराये जाने के दिनांक से, यदि वह, किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराये जाने की दशा में, अडतालीस घण्टे से अधिक की अवधि के लिये दण्डादिष्ट किया गया हो, और ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप तत्काल पदच्युत न कर दिया गया हो या सेवा से हटा न दिया गया हो या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त न कर दिया गया हो,

निलम्बित कर दिया गया समझा जायेगा.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. नियम, 1966 के नियम 9(2) के तहत, किसी शासकीय सेवक को उसकी निरोध की तिथि से निलंबन में रखा गया माना जाएगा, यदि उसे दांडिक आरोप में अड़तालीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाता है।

9. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का मुख्य अभिकथन, जैसा कि प्रतीत होता है, यह है कि नियम, 1966 के नियम 23 के तहत प्रदत्त अपील का वैकल्पिक वैधानिक उपचार अपीलार्थी के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि आक्षेपित आदेश राज्यपाल के नाम पर पारित किया गया था। अतः, इसे स्वयं राज्यपाल द्वारा पारित आदेश माना जा

सकता है। नियम, 1966 के नियम 22 के तहत, राज्यपाल द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है।

10. उच्चतम न्यायालय ने *'मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य विरुद्ध डॉ. यशवंत त्रिंबक*[3] में मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के नियम 9(2)(ख)(**i**) के प्रावधानों पर विचार करते हुए, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि शासकीय सेवक की सेवा के दौरान, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पहले या उसके पुनर्नियोजन के दौरान, विभागीय कार्यवाही संस्थित नहीं की गई है, तो वह राज्यपाल की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

> "14. विचाराधीन नियम निस्संदेह यह प्रावधान करता है कि यदि शासकीय सेवक की सेवा के दौरान, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पहले या उसके पुनर्नियोजन के दौरान, विभागीय कार्यवाही संस्थित नहीं की गई है, तो वह राज्यपाल की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं की जाएगी। विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या इसके लिए स्वयं राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता है या मंत्रिपरिषद, जिनके पक्ष में राज्यपाल ने कार्य संचालन नियमों के तहत मामला आवंटित किया है, भी मंजूरी दे सकते हैं। यह निर्विवाद है कि संविधान के अनुच्छेद 166(3) के तहत राज्यपाल ने सरकार के कार्य के सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बनाए हैं और वर्तमान मामले में अभियोजन की मंजूरी के प्रश्न पर कार्य संचालन नियमों के अनुसार मंत्रिपरिषद द्वारा विचार किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 154 के तहत, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है और इसका प्रयोग उनके द्वारा या तो सीधे या संविधान के अनुसार उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। "कार्यपालिका शक्ति" अभिव्यक्ति इतनी व्यापक है कि वह विधायी और न्यायिक कार्यों को हटा दिए जाने के बाद शेष बचे शासकीय कार्यों का बोध कराती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[3] (1996) 2 SCC 305

17. एक सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के अभियोजन की मंजूरी का आदेश निस्संदेह सरकार की एक कार्यपालक कार्रवाई है। संविधान के अनुच्छेद 166(3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक राज्यपाल कार्य संचालन नियम बनाकर अपने सभी कार्यों को विभिन्न मंत्रियों को आवंटित कर सकते हैं, उन कार्यों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल को संविधान द्वारा अपने स्वयं के विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 166(3) में "राज्य सरकार के कार्य" अभिव्यक्ति में वे कार्य शामिल हैं जिनका प्रयोग राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करना है, जिनमें वे कार्य भी शामिल हैं जिन्हें करने के लिए वह अपने व्यक्तिपरक समाधान पर सशक्त हैं और जिनमें राज्य सरकार के वैधानिक कार्य भी शामिल हैं। न्यायालय ने *गोदावरी शामराव परुलेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य* में यह धारित किया है कि वे कार्य और कर्तव्य भी जो किसी विधि द्वारा राज्य सरकार में निहित हैं, संविधान के अनुच्छेद 166(3) के तहत बनाए गए कार्य संचालन नियमों द्वारा मंत्रियों को आवंटित किए जा सकते हैं। *बिहार राज्य विरुद्ध रानी सोनाबती कुमारी* में, जहाँ बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 3(1) के तहत अधिसूचना जारी करने की शक्ति बिहार के राज्यपाल को प्रदान की गई थी, इस न्यायालय ने धारित किया:

> "अधिनियम की धारा 3(1) इसके तहत अधिसूचना जारी करने की शक्ति किसी अधिकारी को नहीं बल्कि राज्य सरकार को प्रदान करती है, यद्यपि उस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 166(3) के तहत राज्यपाल द्वारा बनाए गए कार्य संचालन नियमों द्वारा शासित होगा।"

अंततः, यह निर्णय किया गया कि उन मामलों को छोड़कर जिनके संबंध में राज्यपाल को संविधान द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करना आवश्यक है, राज्यपाल के व्यक्तिगत समाधान की आवश्यकता नहीं है और किसी भी कार्य को मंत्रियों को आवंटित किया जा सकता है। उक्त निर्णय में, वहां के उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कि नियम में ही "राज्यपाल" और "सरकार" दोनों अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है और इसलिए नियम 9(2)(ख)(i) में "राज्यपाल की मंजूरी" अभिव्यक्ति का अर्थ राज्यपाल की व्यक्तिगत मंजूरी होगा, माननीय न्यायाधीशों को अनुग्रह नहीं लगा।

11. नियम, 1966 के नियम 23(iii) में यह प्रावधान है कि नियम, 1966 के नियम 22 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई शासकीय सेवक नियम, 1966 के नियम 9 के तहत किए गए या किए गए समझे गए निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। निर्विवाद रूप से, निलंबन का आदेश नियम, 1966 के नियम 9(2) के तहत पारित किया गया था जो कि अपील योग्य है क्योंकि आदेश स्वयं राज्यपाल द्वारा पारित नहीं किया गया था, बल्कि राज्यपाल के नाम पर पारित किया गया था जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 166(2) की आवश्यकता है, जिसमें कार्य का आवंटन किया गया है और उसी विभाग के कर्मचारियों के संबंध में सरकार के कार्य को विभिन्न विभागों को आवंटित किया गया है। इस प्रकार, राज्यपाल के नाम पर पारित आदेश एक अधिशासी आदेश था न कि स्वयं राज्यपाल द्वारा पारित आदेश। अतः, नियम, 1966 के नियम 22 के तहत लागू निषेध इस मामले में लागू नहीं होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उच्चतम न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने *शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य*[4] में निम्नानुसार निर्धारित किया:

> 30. उन सभी मामलों में जिनमें राष्ट्रपति या राज्यपाल संविधान द्वारा या उसके तहत प्रदत्त अपने कार्यों का निर्वहन अपने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करते हैं, वे क्रमशः भारत सरकार या राज्य सरकार के कार्यों के सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बनाकर या अनुच्छेद 77(3) और 166(3) के अनुसार अपने मंत्रियों के बीच उक्त कार्यों का आवंटन करके ऐसा करते हैं। जहाँ कहीं भी संविधान को किसी शक्ति या कार्य के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि की आवश्यकता होती है, जैसा कि उदाहरण के लिए अनुच्छेद 123, 213, 311(2) परंतुक (ग), 317, 352(1), 356 और 360 में है, वहाँ संविधान द्वारा अपेक्षित संतुष्टि राष्ट्रपति या राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है, बल्कि सरकार की कैबिनेट प्रणाली के तहत संवैधानिक अर्थों में राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि है। इसके कारण ये हैं। यह मंत्रिपरिषद की संतुष्टि है जिसकी सहायता और सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल सामान्यतः अपनी सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करते हैं। न तो अनुच्छेद 77(3) और न ही अनुच्छेद 166(3) शक्तियों के

[4] (1974) 2 SCC 831

किसी प्रत्यायोजन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 77(3) और 166(3) दोनों यह प्रावधान करते हैं कि अनुच्छेद 77(3) के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 166(3) के तहत राज्यपाल सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन और उक्त कार्य के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। कार्य संचालन नियम और मंत्रियों के बीच उक्त कार्य का आवंटन, यह सभी इंगित करते हैं कि इन दो अनुच्छेदों अर्थात् राष्ट्रपति के मामले में अनुच्छेद 77(3) और राज्य के राज्यपाल के मामले में अनुच्छेद 166(3) के तहत बनाए गए कार्य संचालन नियमों के अधीन किसी भी मंत्री या अधिकारी का निर्णय क्रमशः राष्ट्रपति या राज्यपाल का निर्णय है।

57. पूर्वगामी कारणों से हम यह धारित करते हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल उन सभी मामलों में, जो कार्यपालिका में निहित हैं, चाहे वे कार्य कार्यकारी प्रकृति के हों या विधायी, संघ के मामले में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली और राज्य के मामले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करते हैं। न तो राष्ट्रपति और न ही राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से कार्यकारी कार्यों का प्रयोग करना है। वर्तमान अपीलें राज्य की न्यायिक सेवाओं में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति से संबंधित हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 234 में परिकल्पित राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के साथ परामर्श के बाद राज्यपाल द्वारा की जानी है। राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति या बर्खास्तगी या निष्कासन व्यक्तिगत कार्य नहीं है, बल्कि संविधान के तहत उस संबंध में नियमों के अनुसार प्रयोग किया जाने वाला राज्यपाल का एक कार्यकारी कार्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

88. पूर्वगामी कारणों से हम यह धारित करते हैं कि राष्ट्रपति के साथ-साथ राज्यपाल भी कार्यकारी कार्रवाई में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करते हैं और संविधान द्वारा उनसे मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना या मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। जहाँ राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार है, वहाँ राज्यपाल अपने स्वयं के निर्णय पर कार्य करते हैं। राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग अपने मंत्रिपरिषद के साथ सामंजस्य बिठाकर करते हैं। अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति के साथ-साथ निष्कासन राज्यपाल की एक कार्यकारी कार्रवाई है जिसे संविधान के प्रावधानों के अनुसार मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर प्रयोग किया जाना है। व्यक्तियों की नियुक्तियाँ और निष्कासन राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख के रूप में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर किए जाते हैं। यही कारण है कि नियुक्ति या बर्खास्तगी के संबंध में संघ या राज्य के किसी भी

सेवक द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई को संघ या राज्य के विरुद्ध लाया जाता है, न कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध।

13. उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने *भारत संघ एवं अन्य बनाम श्रीपति रंजन विश्वास एवं अन्य*[5] में आगे निम्नानुसार निर्धारित किया:

> 8. इस अपील में उठाया गया प्रश्न सरकारी सेवक की नियुक्ति या बर्खास्तगी के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। ऐसा प्रश्न केंद्र सरकार के मामले में राष्ट्रपति और राज्य के मामले में राज्यपाल के विशुद्ध रूप से कार्यकारी कार्य के दायरे में आता है। वर्तमान मामले में, चूंकि ऐसा कार्य अंततः राष्ट्रपति का एक कार्यकारी कार्य है, इसलिए यह तथ्य कि अंतिम आदेश से पहले मंत्री द्वारा अर्ध-न्यायिक जांच की गई थी या उसके साथ ऐसी जांच जुड़ी थी, राष्ट्रपति द्वारा उस कार्य के निष्पादन के चरित्र को प्रभावित नहीं करता है। अतः, इसलिए सिद्धांत रूप में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे इस अपील में शमशेर सिंह के मामले (पूर्वोक्त) के निर्णय के अनुपात से विभेदित या अलग किया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अपीलार्थी द्वारा 'अजीज कुरैशी' पर दिया गया अवलंब भी उसी निर्णय के अनुपात को दोहराता है जो ऊपर उद्धृत मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा निम्नलिखित शब्दों में अवलोकित किया गया है:

> "9. यह कहना पर्याप्त होगा कि म.प्र.सि.से. (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध राज्यपाल के समक्ष अपील एक प्रभावी उपचार है और राज्यपाल संविधान के तहत मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करते हैं।"

15. विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि नियम, 1966 के नियम 9(2) के तहत पारित निलंबन का आदेश राज्य का एक कार्यकारी आदेश है जिसके विरुद्ध अपील पोषणीय है और वह एक प्रभावी उपचार है।

---

[5] (1975) 4 SCC 699

16. उपरोक्त के आलोक में और यहाँ ऊपर बताए गए कारणों से, हमारी यह सुविचारित राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि या अवैधता नहीं है।

17. परिणामस्वरूप, अपील **खारिज** की जाती है।

सही /-

सही /-

श्री सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

श्री राधेश्याम शर्मा.
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By - ADV. ANANDITA PRATHNA BEHRA